International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 5.143, Volume 02, No. 03, July - September, 2020, pp.133-137

भारतीय अर्थव्यवस्था में नाबार्ड का योगदान

मोहम्मद उमैर*

प्रस्तावना

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

[National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD)]

ukckM dh mRifÙk

विभिन्न आयोगों एवं कमेटियों की सिफारिश पर 30 मार्च 1979 को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गर्वनर श्री आई0जी0 पटेल ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्री बी0 शिवरमन को नियुक्त किया गया। इस कमेटी ने अपनी अन्तिम रिर्पोट नवम्बर 1979 को भारतीय रिर्जव बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक पृथक संस्था नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया। फलस्वरूप 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई।

देश में कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विभिन्न साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा कृषि साख को एक छाते के नीचे लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गयी, जिसने कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इस बैंक को कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम के समस्त कार्य तथा वे सभी कार्य सौंपें गए हैं, जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किए जाते थे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक है, उसी प्रकार कृषि विकास के लिए यह सर्वोच्च बैंक के रूप में है, जो सभी साख एजेन्सियों के कार्यों में समन्वय करते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। इस तरह यह बैंक कृषि के विकास, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, दस्तकारी एवं अन्य ग्रामीण कलाओं तथा गाँव में चलने वाली अन्य सम्बद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सुलभ कराने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण योजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सर्वोच्च संगठन है।

ukckM d mnn’; (Objectives of NABARD)

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

- ग्रामीण विकास को उचित दिशा प्रदान करना।
- ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं का वित्त पोषण करना।
- कटीर उद्योगों शिल्पकारों तथा ग्रामीण हस्ताकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं का समन्वय करना।
- नाबार्ड से पुनर्वित प्राप्त करने वाली परियोजनायक का निरक्षण, निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
- भारत सरकार, रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों तथा अन्य नीति–निर्धारक संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर ग्रामीण विकास हेतु नीतियों को निर्धारित करना।
- ऋण वितरण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने के लिए नाबार्ड कृषि, लघु, कुटीर तथा ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्पों, ग्रामीणों दस्तकारियों तथा अन्य सम्बंधित कार्यों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पुनर्वित संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- यह राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंको एवं रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराता है।

G शोध छात्र, वाणिज्य विभाग, शिब्ली नेशनल कालेज, आज़मगढ़, उ.प्र.।

- यह राज्य सरकारों को (20 वर्ष की अवधि तक) दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ताकि वे सहकारी ऋण समितियों की हिस्सा–पूँजी में योगदान दे सकें।
- यह केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था को दीर्घकालीन उधार दे सकता है अथवा कृषि एवं ग्रामीण विकास से सम्बन्धित किसी भी संस्था की हिस्सा–पूंजी अथवा प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकता है।
- यह प्राथमिक सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर सकता है।
- यह कृषि तथा ग्रामीण विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास–निधि भी रखता है।
- यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों, योजना आयोग, अखिल भारतीय एवं राज्य–स्तर के संस्थानों की उन क्रियाओं का समन्वय करता है, जो लघु, कुटीर एवं ग्राम उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारियों, अतिलघु एवं विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में उद्योगों आदि के विकास से सम्बन्धित है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के काम–काज पर निगाह रखना है।
- उन सभी कार्यों को करना जो अब तक Agricultural Refinance and Development Corporation) द्वारा किये जा रहे थे।
- कृषि के विकास के लिए एक अनुसंधान तथा विकास निधि Research and Development Fund की स्थापना करना।
- यह वार्षिक आधार पर देश के सभी जनपदों के लिए ग्रामीण ऋण योजनाएं बनाता है, जो समस्त ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वार्षिक ऋण योजनाओं का आधार बनती है।
- यह जिन परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है, उनका पर्यवेक्षण और मुल्यांकन का भी काम करता है।
- ग्रामीण साख उपलब्ध करवाने के लिए शिखर संस्था के रूप में कार्य करना है।
- सहकारी क्षेत्र के काम–काज पर अपने (Agricultural Credit Department) के माध्यम से निगाह रखना है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों हेतु निवेश एवं उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष स्तर की पुनर्वित्त समिति है।

Institutional Structure of Rural Credit

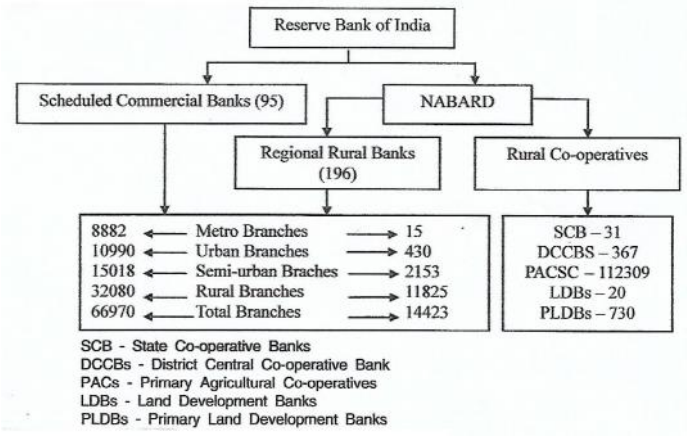

rkfydk 1% ukckMZ }kjk lapkfyr fofHkUu dk"k

¼djksM+ #i;s esa½

Øe la0	dk"k dk uke	l`tu frfFk	mn~ns';	ykHk ikIrdrk@ xzkgd@iz;kDrk	31 ekpZ 2009 dks cdk;k _.k
01.	एनआरसी (एलटीओ)	1982	दीर्घावधि निवेश साख	ग्रामीण वित्तीय संस्थाएं एवं राज्य सरकारें	14016.00
02.	एनआरसी (सटैब)	1982	उत्पादन हेतु परिवर्तन ऋण	राज्यस्तरीय साख बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1555.00

03.	आर एंड डी	1983	ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबद्ध शोध/संगोष्ठी/ कार्यशालाएं	विश्वविद्यालय/शोध संस्थान	50.00
04.	सीआरएफ	1983	पूंजी रिजर्व	——	74.80
05.	सीडीएफ	1992—93	प्रशिक्षण गतिविधियाँ	सहकारी साख संस्थाएं	125.00
06.	एआरईआईएफ	1993	जोखिमयुक्त किन्तु संभावनाशील परियोजनाओं को समर्थन	——	5.00
07.	आरआईडीएफ	1995—96	ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण	राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं आदि	47023.00
08.	डब्ल्यूडीएफ	2000—01	सूखाग्रस्त जिलों में जलसंभरण विकास परियोजनाएं	वर्षा पर निर्भर गाँवों के निवासी	1125.20
09.	एमएफडीईएफ	2000—01	विभिन्न युक्तियों द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विकास हेतु समर्थन	स्वसहायता समूह, स्वयं सेवी संगठन/गाँवों में स्थित कार्यकर्ता, साख बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, बैंक, नाबार्ड प्रशिक्षण इकाई	
10.	एडीएफ	2002—03	समान आदिवासी विकास परियोजनाओं को समर्थन	जनजातीय परिवार	3.40
11.	टीडीएफ	2004	एकीकृत जनजातीय विकास	जनजातीय आबादी	574.98
12.	एफआईपीएफ	2005	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रोन्नयन	किसान/नवाचारी	50.00
13.	आरआईएफ	2005	ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों और रोजगार सृजन के उद्देश्य से कृषि/गैर—कृषि/ सूक्ष्म वित्त नवाचारों को समर्थन	किसान/कारीगर/ स्वसहायता समूह सदस्य	89.28
14.	आरपीएफ	2005	ग्रामीण गैर—कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहन	वित्तीय संगठन/ स्वयंसेवी संगठन	7.25
15.	एफआईएफ	2007	पिछड़े क्षेत्रों के कमजोर तबकों के लिए विकासपरक गतिविधियों को समर्थन देने हेतु वित्तिय निवेश सुनिश्चित करना	सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएँ, वित्तीय समितियाँ, प्रशिक्षण अनुसंधान संगठन आदि	34.08
16.	एफआईटीएफ	2007	वित्तिय संस्थाओं के प्रवर्धन के लिए सूचना—संचार गतिविधियाँ बढ़ाना	—वही—	48.37
17.	एफटीटीएफ	2008	किसानों को प्रौद्योगिकी प्रदान करना	कृषक समुदाय	50.00
18.	क्रेडिट गारंटी फंड (750 करोड़ रुपये)	2020	आत्म निर्भरता के लिए किसानों की आय को बढ़ाने हेतु	कृषक समुदाय	

rkfydk 2% ukokMZ }kjk iqufoZÙk@foÙkh; lgk;rk ¼1982&83 ls 2008&09½

¼djksM+ #i;s esa½

o"kZ	vYi vof/k iqufoZÙk		fuos'k iqufoZÙk	vkSlr vof/k ¼ifjorZu 'kkfey½	vkjvkbZ Mh,Q@ jkT; ljdkjksa dks _.k	dqy ;ksx ¼3$4$5$6½
	vkofVr lhek	vf/kdre cdk;k				
1	2	3	4	5	6	7
1982—83	1658	1231	703	108	13	2055
1983—84	1880	1259	892	73	9	2233
1984—85	1733	1251	1061	90	9	2411
1985—86	1901	1339	1192	132	7	2670
1986—87	2009	1370	1334	236	12	2952
1987—88	2699	1841	1482	343	88	3754
1988—89	3362	2487	1270	316	45	4118
1990—91	3904	2988	1702	135	30	4855
1991—92	4135	3103	1902	233	28	5266
1992—93	4223	3104	1902	129	29	5316
1993—94	4748	3694	2745	78	31	6548
1994—95	5770	4802	3011	151	75	8039
1995—96	6667	5340	3064	85	495′	8984

1996–97	7023	5702	3523	70	1164	10459
1997–98	7140	6000	3922	288	1149	11359
1998–99	8083	6340	4521	393	1354	12608
1999–00	8169	6746	5215	58	2327	14346
2000–01	8595	7011	6158	130	3238	16537
2001–02	8701	7295	6683	316	3840	18134
2002–03	8763	7038	7419	19	4131	18607
2003–04	9954	6967	7605	230	4007	18809
2004–05	11260	9451	8577	808	4328	23164
2005–06	12080	10769	8622	1806	6000	27197
2006–07	16089	14168	8795	60	6239	29262
2007–08	18291	16352	9046	266	8053	33717
2008–09	19627	17212	10635	0	10477	38324
;kx	192911	158474	115492	6832	57202	338000

Lo;a lgk;rk lewg&cSad fyadst dk;Øe

2019–20 के दौरान, स्वयं सहायता समूहों के गठन और लिंकेज, उनके डिजिटाइजेशन, हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आजीविका संवर्धन, प्रलेखन, जागरूकता और नवोन्मेष आदि के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) से रु0 72.33 करोड़ और महिला एसएचजी निधि से रु0 6.52 करोड़ की अनुदान राशि जारी की गई। स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन और संपोषण करने के लिए नाबार्ड ने सहयोगी एजेंसियों/एसएचजी संवर्धन संस्थाओं जैसे गैर–सरकारी संगठनों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों, जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों, किसान क्लबों, एकल ग्रामीण स्वयं सेवकों (आईआरवी), एसएचजी फेडरेशनों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सहायता देना जारी रखा। प्राथमिकता प्राप्त राज्यों में लाभ के उद्देश्य से कार्य न करने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को एसएचजी संवर्धन संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए भी अनुदान सहायता प्रदान की गई। 8.69 लाख स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन के लिए विभिन्न एजेंसियों को +0 415.37 करोड़ की अनंतिम संचयी सहायता मंजूर की गई थी, जिसके समक्ष 3.84 लाख स्वयं सहायता समूहों के गठन और ऋण–सहबद्धता के लिए रु0 160.73 करोड़ की सहायता जारी की गई है।

rkfydk 3

(Rs. in Crores)

Year	No. of SHGs	Bank Loan	NABARD Refinance
1992-93	255	0.289	0.268
1993-94	620	0.650	0.459
1994-95	2112	2.440	2.303
1995-96	4757	6.058	5.661
1996-97	8598	11.840	10.650
1007-98	14317	23.760	21.380
1998-99	32995	57.070	52.060
1999-2000	114775	192.870	150.130
2000-2001	263825	480.870	250.620
2001-2002	461478	545.46	395.73
2018-2019	2698400	58317	12963
2019-2020	3146002	7765935	25256

Source : Karmakar (2002) NABARD Annual Report 2019-20

कृषि क्षेत्र में पर्याप्त बैंक ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना नाबार्ड का प्रमुख कार्य रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान आधार स्तरीय ऋण प्रवाह रु0 13.68 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष से 8.8% अधिक है। इसके साथ ही, वर्ष के दौरान रु0 2.26 लाख करोड़ की पुनर्वित्त सहायता भी प्रदान की गई। भारत सरकार ने सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का अभियान चलाया है, ताकि वे आसानी से संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें। नाबार्ड इसमें सक्रिय योगदान कर रहा है। वाटरशेड क्षेत्रों, जलवायु अनुकूलता और सूखा रोध उपचार वाले क्षेत्रों, पिछड़े जिलों और आरआईडीएफ एलटीआईएफ आदि के तहत विकसित आधारभूत संरचना से लाभान्वित क्षेत्रों में उपयुक्त जिला स्तरीय बैंकिंग योजनाओं के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

नाबार्ड ने वर्ष 2019–20 के दौरान कृषि, सिंचाई, सड़क तथा पुल के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए रु0 65.838 करोड़ का ऋण मंजूर किया। वर्ष के दौरान, चालू परियोजनाओं के लिए रु0 56.432 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इसके अतिरिक्त दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के तहत 99 परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता में 34.63 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की गई। जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप नाबार्ड ने वर्ष 2019–20 के दौरान रु0 5. 000 करोड़ की समूहनिधि से सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) का परिचालन प्रारम्भ किया। परिचालन के पहले वर्ष में ही इस निधि से 9.13 लाख किसान लाभान्वित हुए और इसके तहत 11.27 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर किया गया। इसमें से 77% छोटे और सीमांत किसान हैं, नाबार्ड ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएमवाई) डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ), नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) और स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के तहत परियोजनाओं का वित्तपोषण भी किया। हमने महिलाओं को सशक्त बनाने, वित्तीय सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और आम जनता तक पहुँचने और किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में एक साथ लाने के प्रयास किये हैं। अधिक संख्या में एफपीओ के गठन के भारत सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने 3000 और एफपीओ के संवर्धन और संपोषण की एक नई योजना शुरू की है। हाल ही में सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के लिए जारी विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने में भी हमारी सक्रिय भूमिका रही है।

पिछले 3 दशकों के दौरान वाटरशेड और जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नाबार्ड ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को शामिल किया गया है। इन परियोजना क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा किसानों के साथ–साथ परियोजनाओं के अन्य लाभार्थियों की आय बढ़ाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक नए उपाय किए जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने की संभावना है।

विकासात्मक पहलों को साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए नाार्ड ने वर्ष के दौरान एक नई सहायता संस्था "नैबफाउंडेशन" की स्थापना की है। नाबार्ड ने सहकारी ऋण संरचना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण सहायता तथा संस्थागत विकास सहायता देना। सहकारी संरचना को और मजबूत बनाने के अपने प्रयास के तहत सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान एक व्यापक पैकेज शुरू किया गया है, जिससे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को रूपांतरित कर उन्हें बहु–सेवा केंद्रो के रूप में स्थापित किया जा सकेगा और अपने परिचालनों के कंप्यूटरीकरण का उनका बहुप्रतीक्षित सपना साकार हो सके।

lanHkZ xzUFk lwph

¤ नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट, 2019–20।

¤ बजट दस्तावेज।

¤ नाबार्ड की वेबसाइट।

¤ ग्रामीण मंत्रालय की वेबसाइट।

¤ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट।

¤ सतीश सिंह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबत बनाने में बैंकों की भूमिका, कुरूक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अगस्त 2020, पृष्ठ 35–39।

¤ Dr. K. Prabhakar Rajkumar, Dedicated Service of NABARD to The Nation, Ministry of Information & Broadcasting, Kurushestra, New Delhi, Sep. 2006, Pp. 17-20.

¤ के0जी0, करमाकर, वित्त पोषण : कुछ मुद्दे, योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, जनवरी 2011, पृष्ठ 15–20।

¤ Gurmeet Singh, Importance of Rural Credit in Indian Agriculture, Kurukshetra, July 2007, Pp. 31-38.

❖◆❖